

10 दिसम्बर, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-32

**कार्यकारी आदेश 2021-32**  
**(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 96)**

**जबकि**, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1,884,700, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 26,800 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

**जबकि**, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है, जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

**जबकि**, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

**जबकि**, कोरोनावायरस का डेल्टा संस्करण, पहले के परिसंचारी उपभेदों (स्ट्रेन) की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक संक्रामक है, और वायरस के प्रसार को रोकने और धीमा करने के लिए चल रहे प्रयास में नए जोखिम पैदा करता है; और,

**जबकि**, डेल्टा संस्करण वायरस के पिछले उपभेदों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है; और,

**जबकि**, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) का अनुमान है कि डेल्टा संस्करण के कारण अब अमेरिका में सभी अनुक्रमित कोरोनावायरस का परिमाण 90 प्रतिशत से अधिक हो गया है; और,

**जबकि**, ऑमिक्रॉन संस्करण को चिंता के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कोविड -19 को कम करने और सावधानियों के महत्व पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है; तथा,

**जबकि**, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर करना, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

**जबकि**, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देता रहता है कि कपड़े से फेस कवरींग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं, जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

**जबकि**, CDC की सलाह के अनुसार, स्कूलों को K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए CDC के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और भवनों के अंदर मास्क पहनने सहित, अपने क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम का पता लगाने के लिए स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करना चाहिए; और,

**जबकि**, CDC यह सलाह देता रहता है कि डे केयर प्रदाताओं को चाहिए कि उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और,

**जबकि**, गवर्नर की आपदा उद्घोषणाओं के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस के प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

**जबकि**, 26,800 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान होने और दस हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और बड़ी संख्या में व्यक्तिगत और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; और,

**जबकि**, राज्य की कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है; तथा,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एगरीकलचर (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें पीड़कनाशी (पेस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं, पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

**जबकि**, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

**जबकि**, 10 अप्रैल 2021 को, COVID-19 के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में, जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे, उन पर विचार करते हुए मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, ऊपर वर्णित महामारी आपातकाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मैं कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-18,

2021-22, 2021-24, 2021-25, 2021-28 और 2021-31, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्वारा समाविष्ट करता हूं;

**इसलिए**, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के अधिनियम 20 आईएलसीएस 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं 10 अप्रैल 2021 से प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

### **भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी करना।**

कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-24, 2021-25, 2021-28 और 2021-31 को निम्नवत एतद्वारा पुनः जारी किया जाता है:

#### **कार्यकारी आदेश 2020-04 (राज्य कर्मचारियों के लिए रोग अवकाश आवश्यकता की समाप्ति):**

कार्यकारी आदेश 2020-04 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं 8 मई, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):**

कार्यकारी आदेश 2020-09 का अनुभाग 9 और 10, जो कि कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा संशोधित हैं, को पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग अधिसूचना अवधि):**

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग अधिसूचना अवधि):**

कार्यकारी आदेश 2020-12 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता के उपबंधों का स्थगन):**

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है और 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-20 (जन सहायता आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-20 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):**

कार्यकारी आदेश 2020-21 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

#### **कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयाँ):**

कार्यकारी आदेश 2020-23 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसिज़ फ़ॉरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम):**

कार्यकारी आदेश 2020-24 के अनुभागों 1 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):**

कार्यकारी आदेश 2020-27 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-30 (कालातीत (एक्सपायर) हो चुके द्रुतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):**

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5 और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंसिज़)):**

कार्यकारी आदेश 2020-36 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):**

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2 और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-45 (भांग (कैनेबिस) के लाइसेंस):**

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट के अनुसार प्रभावी रहेगा।

**कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):**

कार्यकारी आदेश 2020-50 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2020-68 (भांग (कैनेबिस) रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):**

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):**

कार्यकारी आदेश 2021-03 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 पुनः खोलना):**

कार्यकारी आदेश 2021-15 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-12 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-18 (कम करने के उपाय):**

कार्यकारी आदेश 2021-19 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-18 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-22 (टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-23 और कार्यकारी आदेश 2021-27 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-22 को इसकी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है और 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-24 (स्कूल अपवर्जन):**

कार्यकारी आदेश 2021-25 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-25 (कार्यकारी आदेश 2021-24 में संशोधन):**

कार्यकारी आदेश 2021-25 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-28 (डे केयर टीकाकरण और परीक्षण आवश्यकताएँ):**

कार्यकारी आदेश 2021-30 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**कार्यकारी आदेश 2021-31 (सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए निलंबन की आवश्यकताएं):**

कार्यकारी आदेश 2021-31 को अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 8 जनवरी, 2022 तक बढ़ाया जाता है।

**भाग 2: व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लौज़)।** यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या इसके इस्तेमाल को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

---

**जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), गवर्नर**

गवर्नर द्वारा 10 सितंबर, 2021 को निर्गत  
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 10 दिसंबर, 2021 को दायर